

रजिस्ट्रार पोस्ट के अन्तर्गत डाक
के नगद भुगतान (बिना डाक
के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
दिनांक 30-5-2001."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर 2002—अग्रहायण 6, शक 1924

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 4831/राजस्व/2002.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 256 सहपठित धारा 258 की उपधारा
(1) तथा उपधारा (2) की कण्डिका (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वर्तमान नियमों में
संशोधन करती है:—

संशोधन

नियमों में,—

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 256 के अधीन बनाए गये नियम 56 के उपनियम (ग) के द्वितीय पैरा में अंक
"रुपये 05.00" के स्थान पर "रुपये 07.00" प्रतिस्थापित किया जाए.

Raipur, the 27th November 2002

NOTIFICATION

No.4831/Revenue/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (ix) of sub-section
(2) of Section 258 and read with Section 256 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State
Government hereby makes the following amendments in the existing rules :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For paragraph second of sub-rule (c) of rule 56, of the rules framed under Section 256 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, for the figures "Rs. 05.00" "Rs. 07.00" shall be substituted,

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

==
==
==